


05-08-25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण अनुपस्थित।  
बार-बार आवाज लगाने पर भी वकील  
वादीगण या वादीगण स्वंप उपस्थित नहीं हुए।  
अतः वादीगण का यह वादपत्र अद्य पेशवी-  
अद्य हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया  
जाता है। पत्रावली बाद तरीब तकमील होकर  
दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।

  
(सुनील कुमार चौहान)  
R.A.S.